

दिनांक 12.09.2018 को पूर्वा० 11:30 बजे विशेष सचिव-सह-अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही-
उपस्थिति-

1. श्री के० सेंथिल कुमार	- विशेष सचिव	- अध्यक्ष
2. श्री सुजीत कुमार राय	- संयुक्त श्रमायुक्त	- सदस्य
3. श्री अजीत कुमार सिन्हा	- सहायक निदेशक, नियोजन	- सदस्य
4. श्रीमती तृप्ती चौधरी	- उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
5. श्री राकेश कुमार	- सहायक निदेशक, प्रशिक्षण	
6. मो० मुस्तफा मंसूरी	- प्रशाखा पदाधिकारी-03 (सरकार पक्ष)	
7. श्री देवेश कुमार	- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (सरकार पक्ष)	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :-

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है-

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ० प्र० संस्थान, कटिहार	<u>अंकेक्षण आपत्ति सं०-125/2009-10 के संबंध में-</u> प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंकेक्षण आपत्ति सं०- 125/2009-10 में श्री रामानन्द सिंह, मुख्य अनुदेशक (से०नि०) का मकान किराया भत्ता का अवैध भुगतान की राशि को कटौती की जानी है। मकान किराया भत्ता की राशि जो रू० 1,18,981/- है, जिसकी कटौती की जानी है, उक्त राशि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की राशि से कटौती कर शेष का भुगतान किया जा चुका है। प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, कटिहार के पत्रांक-493 दिनांक-20.09.2017 के द्वारा निदेशकीय समीक्षोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को हस्तगत करा दिया गया है। परन्तु अब तक महालेखाकार के द्वारा अंतिम निर्णय औ०प्र० संस्थान, कटिहार को प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशालय पत्रांक-659 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, कटिहार को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर मामले का निराकरण करने हेतु पत्र दिया गया है।

<p>2. श्री राम नरेश सिंह एवं अन्य, कार्यालय परिचारी, प्रशिक्षण पक्ष, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण।</p>	<p><u>ग्रीष्म कालीन वर्दी की आपूर्ति की संबंध में-</u> प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-1825 दिनांक-08.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि शेष नहीं रहने के कारण सिर्फ चप्पल की आपूर्ति की जा सकी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। आवंटन प्राप्त होने के पश्चात वर्दी आपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>3. श्री चन्द्रदेव राम, सहायक लेखा पदाधिकारी, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण पक्ष</p>	<p><u>विभिन्न सामग्रियों एवं नाश्ता-पानी के क्रय में हुए व्यय की राशि रू०-12131/- मात्र का भुगतान के संबंध में-</u> प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-1825 दिनांक-08.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निदेशालय पत्रांक-1795 दिनांक 03.08.2018 द्वारा श्री अरुण कुमार, लिपिक (पूर्व भण्डारपाल, निदेशालय प्रशिक्षण) को आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु पत्र दिया गया है।</p>
<p>4. श्री चन्द्रदेव राम, सहायक लेखा पदाधिकारी, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण पक्ष</p>	<p><u>लेखापाल, लेखा निरीक्षक एवं सहायक लेखा पदाधिकारी का वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में-</u> प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-1825 दिनांक-08.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त मामले पर वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग को संचिका भेजने की कार्रवाई की गई है।</p>
<p>5. श्री प्रवीण कुमार, सहायक, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण)</p>	<p><u>बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु देश यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में-</u> संचिका आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।</p>
<p>6. श्री वरुण ठाकुर, पूर्व संविदा अनुदेशक, ठाकुरगंज, किशनगंज</p>	<p><u>झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर सेवा से हटाये जाने के संबंध में-</u> श्री वरुण ठाकुर, पूर्व संविदा अनुदेशक, ठाकुरगंज, किशनगंज का अवधि विस्तार एक वर्ष के लिए करने हेतु संचिका उच्च स्तर पर उपस्थापित है।</p>

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों एवं तदनुसार प्रशिक्षण पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत कई माह से स्थिति यथावत है एवं मामलों के निस्तारण हेतु कोई प्रगति दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपस्थित सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि वे प्रशिक्षण पक्ष में निष्पादन हेतु लंबित मामलों को निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के संज्ञान में लायेंगे।

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण व्यक्तिगत ध्यान देकर लंबित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामलों का निष्पादन करायेंगे एवं तदनुसार समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

नियोजन पक्ष


नियोजन पक्ष से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उपस्थित सहायक निदेशक, नियोजन को निदेश दिया गया कि बैठक हेतु कृत कार्रवाई से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन समिति को अवश्य उपलब्ध कराया जाए ताकि मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन किया जा सके। विगत बैठक के अनुसार समिति के समक्ष निम्न मामले रक्षित हैं-


1. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	विपार्ड में प्रवेश कालीन प्रशिक्षण हेतु देय यात्रा भत्ता भुगतान के संबंध में।
2. श्री उमेश कुमार दास, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	
3. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	दिनांक 04.04.2018 से दिनांक 19.04.2018 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की अब तक स्वीकृति न किए जाने के संबंध में।
4. श्री परम प्रकाश नंद, सहायक, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)	कार्यालय आदेश संख्या-01/स्था0 (मु0)-06/2017-47 दिनांक 29.06.2017 के आलोक में वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के बावजूद अब तक लाभ न दिए जाने के संबंध में।


नियोजन पक्ष में लंबित मामलों के संबंध में उपस्थित सहायक निदेशक, नियोजन द्वारा समिति को आश्वस्त किया गया कि उपरोक्त चारों मामलों का दो सप्ताह के अन्दर निस्तारण कर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सहायक निदेशक, नियोजन को निदेश दिया गया कि वे नियोजन पक्ष में निष्पादन हेतु लंबित मामलों को निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के संज्ञान में लायेंगे।

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण व्यक्तिगत ध्यान देकर लंबित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामलों का निष्पादन करायेंगे एवं तदनुसार समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।


(अजीत कुमार सिन्हा)
सहायक निदेशक, नियोजन
सदस्य



(श्री सुजीत कुमार राय)
संयुक्त श्रमायुक्त
सदस्य


(के०सेथिल कुमार)
विशेष सचिव
अध्यक्ष

ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2018 श्र0 सं0...2182

पटना, दिनांक...13/9/2018


प्रतिलिपि:- निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में)/श्रमायुक्त, बिहार/निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्म0रा0बीमा योजना/श्रीमती सुधा रानी, विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त श्रमायुक्त-01/संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2018 श्र0 सं0...2182

पटना, दिनांक...13/9/2018


प्रतिलिपि:- उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर/श्रम संसाधन विभाग को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2018 श्र0 सं0...2182

पटना, दिनांक...13/9/2018

प्रतिलिपि:- सचिव विधि विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव सह अध्यक्ष